

सेवा में

आर टी आई अधिकारी

जोनल वेंडिंग समिति सेक - 9

आर के पुरम नई दिल्ली - 110022

विषय : ( कागजात का सत्यापन एवं उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करना )

महोदय

मुझे आपके द्वारा कुछ कागजात प्रदान किया गया है जिस पर एम.सी.डी के अधिकारी ने यह दावा किया है की नय दिशानिर्देश जारी किये जाने तक हमें नहीं हटाया जायगा परन्तु

08/06/17 की दोपहर एस.डी.एम.सी के अधिकारी के निर्देश पर मेरी दुकान तोड़ दी गई.

(1) हमारे द्वारा (आपके दिए गए) कागजात एस.डी.एम.सी. के अधिकारी ने देखने से भी मना कर दिया क्या एस.डी.एम.सी. के पास सरकारी दस्तावेज़ न देखने का अधिकार है ?

(2) मैं आपसे यह जानना चाहता हु की मेरे कागजात (जो की मैंने पी.डी.एफ. फ़ाइल् में अपलोअड की

है) उसके रहते क्या कोई अधिकारी अधिकारी मुझे इस जगह से हटा सकता है ?

(3) यदि यह कागजात सही है और मुझे वहा से कोई न हटा सकता हो तो एस.डी.एम.सी. के अधिकारी ने मेरी दुकान क्यों तोड़ी ?

(4) यदि मुझे हटाने का अधिकार एस.डी.एम.सी. अधिकारी के पास न हो तो क्या उस अधिकारी पर कार्यवाही होगी ?

(5) मुझे मेरे द्वारा अपलोअड किये गय दस्तावेज़ की पूरी जानकारी भी दे की यह किन नियमो के साथ मान्य है ?

2017

Pr.: Appellant in person.

Sh.Rajesh Kumar, LI for Central Zone.

Appellant has submitted that he is holding the vending site.


Official of MCD has submitted that vendors who are in possession of vending site would not be removed till new guidelines are framed.

Considered.

In view of above, the appellant has submitted that he does not want to pursue the appeal any further.

Considered.

Accordingly, the appeal is disposed off as withdrawn and the file be consigned to record room after completion of all necessary legal formalities as per rules.

*Tom Roy*  
*Roy*  
*17/3/17*  


*Sd/-*  
Ld.Presiding Officer  
Zonal Vending Committee  
17.3.2017